

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (युप-2) विभाग

क्रमांक:पं0 25(2)चि.स्वा./2/2018
निदेशक,(जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0 जयपुर।

जयपुर, दिनांक 27-06-2018

विषय:-एडपोस्टों का समाप्त कर उप स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित करने की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विभाग में एडपोस्ट के नाम से कोई चिकित्सा संस्थान कार्यरत नहीं है। पूर्व में स्वीकृत एडपोस्ट वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में ही संचालित है। अतः निम्नानुसार 13 संचालित एडपोस्ट को समाप्त कर, इनका नाम उप स्वास्थ्य केन्द्र किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

राज्य में कार्यरत शहरी एडपोस्ट का विवरण

जिला	पंचायत समिति	एडपोस्ट का नाम
अजमेर	जवाजा	1. चान्दगोट, ब्यावर
भीलवाडा	शाहपुरा	2. प्रतापपुरा (लेबर कॉलोनी) शाहपुरा
बूंदी	बूंदी	3. बाल चन्दपाडा, बूंदी
चूरु	चूरु	4. चूरु सिटी (हरिजन बस्ती) चूरु
जयपुर-I	झोटवाडा	5. सत्यावन आश्रम, जयपुर 6. चन्द्रशेखर की बगीची जयपुर
झुन्झुनू	झुन्झुनू	7. कॉलोनी झुन्झुनू
जोधपुर	मण्डोर	8. मन्सूरिया कॉलोनी जोधपुर 9. कालावेरी जोधपुर 10. भडवासिया जोधपुर 11. उदय मन्दिर जोधपुर
	विलाडा	12. भौमिया की बाड़ी पीपाडशहर
नागौर	नागौर	13. नागौर

भवदीय,

41/3
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक ,माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2-विशिष्ट सहायक ,राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4-प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0 जयपुर।
- 5-अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
- 6-वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
- 7-संयुक्त निदेशक जोन अजमेर/कोटा/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर।
- 8-एकल पत्रावली डी-685 दिनांक 20.06.2018
- 9-रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ (2017-18) ईआरसी-व्यय सुधार समिति/योजना/मूल्यांकन/118

दिनांक:- 29/06/18

प्रतिलिपी निम्न को पृष्ठांकित कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर/कोटा/बीकानेर/
जयपुर/जोधपुर
4. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए यदि आपके अधीन कोई एडपोस्ट संस्था कार्यरत है तो उसके प्रस्ताव भिजवावे।
5. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर